न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सं.1, अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : धीरज शर्मा, RJS

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 91/26, C.I.S No-294/2026

01. इस्ताक पुत्र आसू निवासी ग्राम आलमशाह थाना सीकरी, जिला डीग।

..प्रार्थी/अभियुक्त

–बनाम–

01. राज. सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, अलवर। **...अप्रार्थी**

''जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बी एन एस एस. प्र.सू.रि.सं. 33/2025, पुलिस थाना बगड तिराया, अलवर धारा– 140(2), 115(2), 127(2), 308(5), 351(3), 61(2)(ए) सपठित धारा– 3(5)बी एन एस ''

उपस्थितः–

1. विद्वान अधिवक्ता श्री मौहम्मद इमरान, वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त।

2. विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री नवनीत कुमार तिवाडी, वास्ते राज्य,

–: आदेश :– **दिनांकः 23.03.2026**

1. प्रार्थी–अभियुक्त **इस्ताक** की ओर से जरिये अधिवक्ता उक्त जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत सर्वप्रथम श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, महोदय, अलवर के समक्ष पेश किया गया, वहॉ से यह प्रार्थना–पत्र विधिवत निस्तारण हेतु अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी साहिल खान ने एक तहरीर रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी गयी कि दिनांक 28.01.2025 को समय करीब शाम 4:00 बजें की घटना है। मैं अपने दोस्त अयाज पुत्र हूरमत के साथ अलवर बाजार किसी काम से आया था। जिसके बाद मैं व मेरा दोस्त अयास वापिस आ रहे थे तो रास्ते में एस और एल मेवाती होटल, केसरोली मोड पर खाना खाने रूके थे तो वहॉ पर कुछ देर बाद एक वाहन कार बिना नम्बरी आयी, जिस पर दो व्यक्ति उतरे तथा उक्त कार वापिस चली गयी। इसके कुछ देर बाद दो बारा उक्त कार वापिस आयी, जिसमें से दो ओर व्यक्ति उतरे, जिन दोनों व्यक्तियों के हाथ में पिस्टल व बडी बंदूक थी, जो चारों व्यक्ति एक साथ हमारे पास आये और हमसे कहने लगे कि तुम दोनो में से साहिल कौन है, जिस पर मैनें उन्हें बताया कि

मैं साहिल हूँ, जिस पर उक्त लोगों ने मुझसे कहा कि तुम हमारे साथ चलो, हमें तुमसे कुछ काम है, जिस पर मैनें उक्त लोगों के साथ जाने से मना कर दिया, जिस पर उक्त लोगों ने इनमें से एक व्यक्ति ने मेरे सिर पर पिस्टल लगा दी तथा मुझे जबरन कार में बैठा लिया तथा भरतपुर की तरफ कार को चलाकर ले जाने लगे, इस पर मैं अपने बचाव हेतु काफी चिखा, चिल्लाया, लेकिन उक्त लोगों ने मेरा मुंह बंद कर लिया तथा धमकी दी कि यदि तुमने चिल्लाने की कोशिश की तो तुझे बंदुक से गोली ठोक देगे तथा उक्त लोग एस आर एल होटल से मुझे रामगढ, रामगढ से गोविन्दगढ, गोविन्दगढ से नगर, नगर से डी, डीग से गोवर्धन होते हुए मथुरा व मथुरा से आगरा ले गये तथा ये सभी लोग रास्ते से जाते जाते मुझसे कह रहे थे कि वह उत्तर प्रदेश पुलिस है तथा मुझसे रूपयों की मांग करने लगे तथा कहने लगे कि मैं अपने परिवार के लोगों को फोन कर उनको रूपयो की मांग को पूरा कराउ। इस पर हम आगरा पहुँच गये। उसके पश्चात् उक्त लोगों ने मेरी आंखो पर पट्टी बांध दी। इसके बाद पता नहीं मुझे ये लोग कहा ले गये। इसके कुछ देर बाद उक्त लोग मुझे एक होटल में ले गये, जहॉ पर मुझे उक्त लोगों ने एक कमरे में बंद कर दिया तथा मुझ पर अपने परिवार वालों को फोन कर 20 लाख रूपये दिलाने हेतु दबाव देने लगे तथा मेरे साथ रूपयों की मांग को लेकर लात घुसो से मारपीट करने लगे तथा मेरे सिर पर पिस्टल लगा मेरे परिवार वालो को फोन कर पैसे नहीं मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। इस पर भी मैनें अपने परिवारजन को फोन नहीं किया तो यह लोग कहने लगे कि 20 लाख रूपये नहीं तो 18 लाख रूपये या 15 लाख रूपये दिला तथा मुझे डराने व धमकाने लगे, जिस पर मैनें डरकर मेरे मोबाईल नम्बर 9352657931 से अपने भाई सहरून के मोबाईल नम्बर 8769376900 पर वाटसअप काल किया तथा मेरे भाई से मुझे छोडने की ऐवज में 15 लाख रूपये की मांग की। जिस पर मेरे भाई सहरून ने 15 लाख रूपये देने के लिए हॉ कहने पर उक्त लोगों द्वारा कुछ देर बाद पैसे कहा देने है वह बताया। इसके बाद मुझसे दोबारा मेरे भाई के पास फोन कराया तथा कहा कि तुम्हारे पास पैसो का बन्दोबस्त हो गया है क्या। जिस पर मेरे भाई सहरून ने कहा कि पैसों का बन्दोबस्त हो गया, जिस पर उक्त लोगों ने पैसो की फोटों भेजने के लिए कहा, जिस पर मेरे भाई सहरून ने वाटस अप पर पैसों की गुगल से डाउनलोड कर फोटो भेज दी। इस पर उक्त लोगों ने 5 मिनट बाद दोबारा फोन कर पैसे कहा देने है के बारे में बताने के लिए कहा तथा मेरे भाई सहरून के पास दोबारा फोन कर कहा कि ग्राम बहाला के कल्लू सरपंच को पैसे देने के लिए कहा। इसके बाद दिनांक 29.01.2025 को समय सुबह 9:15 बजे मेरे फोन पर कल्लू सरंपच ने अपने मोबाईल नम्बर 9414459079 से फोन कर उक्त लोगों से कहा कि अभी पैसे नहीं आये है, जिस पर उक्त लोगों द्वारा मुझसे दोबारा मेरे भाई सहरू8न के पास फोन कराया तथा कहा कि अभी तक तुम लोगों ने कल्लू सरपंच को पैसे नहीं दिये है, इस पर मेरे भाई सहरून ने कहा कि मेरे पास केवल चार लाख रूपये ही है, जिस पर उक्त लोगों ने कल्लू सरपंच को चार लाख रूपये देने पर मुझे छोडने के लिए कहा, जिस पर मेरे भाई ने कल्लू सरंपच को चार लाख रूपये दे दिय फिर उनके पास काल आया और कल्लू ने कहा पैसे आ गये फिर मुझे उन्होने मथुरा बस स्टेण्ड पर छोड कर चले गये फिर मैं अपने घर आ

गया। मैने उक्त घटना मेरे परिवार वालों को बतायी। मेरे भाई सहरून ने उक्त लोगों की फोन पर हुई बातों की रिकार्डिंग विडियो रिकार्डिग की है।..... आदि आदि।

3. मुकामी पुलिस द्वारा एफआईआर संख्या 33/25 दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया। दौराने अनुसंधान प्रार्थी–अभियुक्त को गिरफ्तार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 480 बी एन एस एस के तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.02.2026 को खारिज किया गया। तत्पश्चात प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से यह जमानत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 483 बी एन एस एस के तहत पेश किया गया।

4. प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड निम्न प्रकार है :–

कम संख्या	प्रकरण संख्या	अंतर्गत धारा	पुलिस थाना
1.	302/2025	3/25 आर्म्स एक्ट	सीकरी, डीग

5. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त ने तर्क दिये है कि वह निर्दोष है। उसका आरोपित अपराध से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। प्रार्थी–अभियुक्त से कोई बरामदगी या अनुसंधान शेष नहीं है। प्रार्थी–अभियुक्त काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल आ रहा है। विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की।

6. प्रत्युत्तर में विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र के तर्को का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी/अभियुक्त वृहद संगठित सक्रिय गिरोह का सदस्य है, जो साईबर अपराधों से प्राप्त पैसों का लेन–देन करते है। उन्होनें यह भी तर्क दिया कि प्रार्थी/अभियुक्त इस्ताक सक्रिय रूप से मुख्य अभियुक्त है एवं उसके द्वारा सह–अभियुक्तगण से फिरोती की रकम लेने की वार्ता की गई है। प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

7. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया।

8. केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि यह सही है कि सह अभियुक्तगण ईदू खां व कल्लू खां को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.03.2025 को जमानत का लाभ दिया जा चुका है। किन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उपरोक्त जमानत का लाभ इस आधार पर प्रदान किया था कि प्रकरण में उक्त अभियुक्तगण का परिवादी पक्ष से राजीनामा हो गया था।

9. हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी अभियुक्त मुख्य अभियुक्त प्रकट हुआ है व उसके द्वारा परिवादी के भाई के साथ मिलकर दीगर लोगों के साथ साईबर फ्रोड

किये जाने व साईबर फ्रोड की राशि के हिसाब को लेकर रंजिश के कारण परिवादी साहिल खां का अपहरण कर फिरौती में चार लाख रूपये प्राप्त करने का आक्षेप है।

10. केस डायरी के अवलोकन से यह भी प्रकट हुआ है कि प्रार्थी अभियुक्त आरोपित अपराध कारित किये जाने के पश्चात रूहपोश रहा है व उसने अनुसंधान में भी सहयोग नहीं किया है। प्रकरण में सह अभियुक्तगण की गिरफतारी से लगभग एक वर्ष बाद प्रार्थी अभियुक्त की गिरफतारी दृष्टिगत रही है। ऐसी स्थिति में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत खेत सिंह बनाम स्टेट एस बी क्रिमीनल मिस. जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 861/2021 में प्रतिपादित सिद्वान्त के आलोक मे प्रार्थी अभियुक्त की अपराध में भागीदारिता अन्य सह अभियुक्तगण के समतुल्य प्रकट नहीं हुई है। प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्व धारा 140(2), 115(2), 127(2), 308(5), 351(3), 61(2)(ए) सपठित धारा– 3(5)बी एन एस का आरोपित अधिरोपित है, जिसमें से धारा 140 (2) बी एन एस फिरौती के लिए व्यपहरण किये जाने के अपराध हेतु मृत्यु दण्ड अथवा आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। वर्तमान में उक्त प्रकृति के अपराधों में लगातार वृद्वि हो रही है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियो को देखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी नहीं करते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को इस स्तर पर जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।.

–: आ दे श :–

11. परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **इस्ताक पुत्र आसू** की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(धीरज शर्मा)

12. आदेश आज दिनांक 23.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(धीरज शर्मा)